


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]
No. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2013/चैत्र 20, 1935
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2013/CHAITRA 20, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2013

सा.का.नि.210(अ)—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये उनके राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 17 के उपनियम (2) में, " केवल उस राज्य की सरकार के माध्यम से संवितरित किया जाएगा जिसमें चीनी कारखाना अवस्थित है" के स्थान पर, "राज्य की सरकार, जिसमें चीनी कारखाना अवस्थित है, को सूचना के अधीन चीनी कारखाने को सीधे संवितरित किया जाएगा " ।

[फा.सं. 1-16/2007/-एसडीएफ]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 752 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :

- (i) सा.का.नि. सं. 817(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1984
(ii) सा.का.नि. सं. 838(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985
(iii) सा.का.नि. सं. 551(अ), तारीख 6 मई, 1988
(iv) सा.का.नि. सं. 235(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991
(v) सा.का.नि. सं. 441(अ), तारीख 2, अप्रैल, 1992
(vi) सा.का.नि. सं. 435(अ), तारीख 6 मई, 1994
(vii) सा.का.नि. सं. 27(अ), तारीख 12 जनवरी, 1996
(viii) सा.का.नि. सं. 656(अ), तारीख 21 नवम्बर, 1997
(ix) सा.का.नि. सं. 91(अ), तारीख 12 फरवरी, 2001
(x) सा.का.नि. सं. 886(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2001
(xi) सा.का.नि. सं. 442(अ), तारीख 21 जून, 2002
(xii) सा.का.नि. सं. 584(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002
(xiii) सा.का.नि. सं. 67(अ), तारीख 29 जनवरी, 2003
(xiv) सा.का.नि. सं. 241(अ), तारीख 25 मार्च, 2003
(xv) सा.का.नि. सं. 787(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003
(xvi) सा.का.नि. सं. 895(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2003
(xvii) सा.का.नि. सं. 953(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2003
(xviii) सा.का.नि. सं. 72(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004
(xix) सा.का.नि. सं. 687(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2004
(xx) सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2004
(xxi) सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 2 मार्च, 2005
(xxii) सा.का.नि. सं. 451(अ), तारीख 4 जुलाई, 2005
(xxiii) सा.का.नि. सं. 558(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006
(xxiv) सा.का.नि. सं. 188(अ), तारीख 9 मार्च, 2007
(xxv) सा.का.नि. सं. 697 (अ), तारीख 7 नवम्बर, 2007
(xxvi) सा.का.नि. सं. 699(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2007
(xxvii) सा.का.नि. सं. 738 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007
(xxviii) सा.का.नि. सं. 749 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007
(xxix) सा.का.नि. सं. 115(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008
(xxx) सा.का.नि. सं. 279(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008
(xxxi) सा.का.नि. सं. 388(अ), तारीख 19 मई, 2008
(xxxii) सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009
(xxxiii) सा.का.नि. सं. 599 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2012

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2013

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, in rule 17, in sub-rule (2), for the words “disbursement only through the”, the words “disbursed directly to the sugar factory under intimation to the” shall be substituted.

[F. No. 1-16/2007-SDF]

T. JACOB, Jt. Secy.

Footnote: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 752(E), dated 28th September, 1983 and were subsequently amended by the following notifications:

- (i) G.S.R. 817 (E), dated the 20th December, 1984;
- (ii) G.S.R. 838 (E), dated the 14th November, 1985;
- (iii) G.S.R. 551 (E), dated the 6th May, 1988;
- (iv) G.S.R. 235(E), dated the 24th April, 1991;
- (v) G.S.R. 441 (E), dated the 28th April, 1992;
- (vi) G.S.R. 435 (E), dated the 6th May, 1994;
- (vii) G.S.R. 27 (E), dated the 12th January, 1996;
- (viii) G.S.R. 656 (E), dated the 21st November, 1997;
- (ix) G.S.R. 91 (E), dated the 12th February, 2001;
- (x) G.S.R. 886 (E), dated the 6th December, 2001;
- (xi) G.S.R. 442 (E), dated the 21st June, 2002;
- (xii) G.S.R. 584 (E), dated the 19th August, 2002;
- (xiii) G.S.R. 67 (E), dated the 29th January, 2003;
- (xiv) G.S.R. 241 (E), dated the 25th March, 2003;
- (xv) G.S.R. 787 (E), dated the 6th October, 2003;
- (xvi) G.S.R. 895 (E), dated the 19th November, 2003;
- (xvii) G.S.R. 953 (E), dated the 17th December, 2003;
- (xviii) G.S.R. 72 (E), dated the 23rd January, 2004;
- (xix) G.S.R. 687 (E), dated the 21st October, 2004;
- (xx) G.S.R. 739 (E), dated the 9th November, 2004;
- (xxi) G.S.R. 149 (E), dated the 2nd March, 2005;
- (xxii) G.S.R. 451 (E), dated the 4th July, 2005;
- (xxiii) G.S.R. 558 (E), dated the 15th September, 2006;
- (xxiv) G.S.R. 188 (E), dated the 9th March, 2007;
- (xxv) G.S.R. 697 (E), dated the 7th November, 2007;
- (xxvi) G.S.R. 699 (E), dated the 8th November, 2007;
- (xxvii) G.S.R. 738 (E), dated the 29th November, 2007;
- (xxviii) G.S.R. 749 (E), dated the 5th December, 2007;
- (xxix) G.S.R. 115 (E), dated the 28th February, 2008;
- (xxx) G.S.R. 279 (E), dated the 10th April, 2008;
- (xxxi) G.S.R. 388 (E), dated the 19th May, 2008.
- (xxxii) G.S.R. 508(E), dated the 7th July, 2009.
- (xxxiii) G.S.R. 599(E), dated the 30th July, 2012.